



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2166 / फीस / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2023

दिनांक 25/8/23

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मंदसौर विश्वविद्यालय
मंदसौर (म.प्र.)

विषय— शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विध्यांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.08.2023 एवं 24.08.2023 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है—

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Business Management	BBA	40000	34000	6000	40000
		MBA	75000	63750	11250	75000
		Ph.D (Business Management)	65000	55250	9750	65000
2	Faculty of Arts	BA (Journalism & Mass Communication)	50000	42500	7500	50000
		BA(Fashion Design)	60000	51000	9000	60000
		BA(Tourism and Hospitality)	53000	45050	7950	53000
		Ph.D (Tourism and Hospitality)	65000	55250	9750	65000
		MA (JMC)	50000	42500	7500	50000
3	Faculty of Commerce	B.Com (Banking & Finance)	35000	29750	5250	35000

निरतर-02

25/8/23

// 02 //

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

4	Faculty of Engineering & Technology	Diploma CIVIL	40000	34000	6000	40000
		Diploma ELECTRICAL	40000	34000	6000	40000
		Diploma MECH	40000	34000	6000	40000
		B.Tech Civil	70000	59500	10500	70000
		B.Tech CSE	70000	64345	11355	75700
		B.Tech EEE	70000	59500	10500	70000
		B.Tech MECH	70000	59500	10500	70000
	Ph.D Engineering & Technology	85000	72250	12750	85000	
5	Faculty of Education	B.Ed	45000	38250	6750	45000
		B.P.Ed	45000	38250	6750	45000
		MA Education	35000	29750	5250	35000
		Ph.D Education	65000	55250	9750	65000
6	Faculty of Pharmacy	D.PHARM	50000	45730	8070	53800
		B.PHARM	80000	68000	12000	80000
		M.Pharm	75000	63750	11250	75000
		Ph.D Pharmacy	85000	72250	12750	85000
7	Faculty of Agriculture	B.Sc (Agriculture)	60000	51000	9000	60000
		M.Sc (Agronomy)	55000	46750	8250	55000
8	Faculty of Life Science	B.Sc(Biotech)	35000	29750	5250	35000
		B.Sc (Microbiology)	35000	29750	5250	35000
		M.Sc (Microbiology)	36000	30600	5400	36000
		M.Sc (Biotech)	36000	30600	5400	36000
		Ph.D Life Science	75000	63750	11250	75000
9	Faculty of Computer Application	BCA	35000	29750	5250	35000
		BCA (CC/SYSCS)	55000	46750	8250	55000
		MCA	60000	51000	9000	60000
		Ph.D Computer Application	75000	63750	11250	75000
10	Faculty of Library Science	B.Lib	25000	21250	3750	25000
		M.Lib	25000	21250	3750	25000
		Ph.D Library Science	65000	55250	9750	65000

निरतर-03

25/12/23

Ph

//03//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

11	Faculty of Ayurveda	BAMS	250000	212500	37500	250000
		Ph.D Ayurveda	85000	72250	12750	85000
12	Faculty of Nursing	B.Sc (Nursing)	70000	64600	11400	76000

नोट— उपरोक्त शुल्कस समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्कमें से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2023-24 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल